Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भीलवाड़ा में नगर परिषद की पार्षद एवं उसका पति 1 लाख 50 हजार (30 हजार रुपये नकद एवं 1 लाख 20 हजार रुपये का चैक) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *22 जून, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भीलवाड़ा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्रीमती लक्ष्मीदेवी सैन पार्षद वार्ड नं. 29, नगर परिषद, भीलवाड़ा को उसके पति मुकेश सैन के साथ परिवादी से 1 लाख 50 हजार (30 हजार रुपये नकद एवं 1 लाख 20 हजार रुपये का चैक) रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्यों को निर्बाध चलने देने की एवज में श्रीमती लक्ष्मीदेवी सैन पार्षद वार्ड नं. 29, नगर परिषद, भीलवाड़ा द्वारा अपने पति मुकेश सैन के माध्यम से **1 लाख 50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी भीलवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह चारण** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री नरसी लाल** एवं उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये श्रीमती लक्ष्मीदेवी सैन पार्षद वार्ड नं. 29, नगर परिषद, भीलवाड़ा के कहने पर उसके पति मुकेश सैन परिवादी से 1 लाख 50 हजार (30 हजार रुपये नकद एवं 1 लाख 20 हजार रुपये का चैक) रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।